रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270416
SG-DL-E-23022026-270416

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] दिल्ली, सोमवार, 23 फरवरी, 2026/फाल्गुन 4, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 474

No. 59] DELHI, MONDAY, 23 FEBRUARY, 2026/PHALGUNA 4, 1947 [N. C. T. D. No. 474

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

योजना विभाग

(संवर्ग नियंत्रण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

फा. सं. 09(45)/2022/सीसी/योजना/पार्ट फा.–1/3606.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं0फा0 24/78/68–डीएच(एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा –

(i) इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में 'निदेशक (योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी' के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते है; तथा

(ii) दिनांक 12 जनवरी, 2006 की अधिसूचना सं0फा0 9(17)/2004/सीसी/योजना/6758 द्वारा अधिसूचित इस सरकार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों/विभागों में निदेशक (योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के पद हेतु भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुलग्नक –I

अनुसूची

योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रालय/विभाग में निदेशक (योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	**पदनाम**	:	**निदेशक (योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी)**	
2	**पदों की संख्या**	:	03 **(2025)** *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	
3	**वर्गीकरण**	:	**सामान्य केन्द्रीय सेवा** अलिपिकीय, राजपत्रित समूह–क	
4	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	13 अभ्युक्ति : (123100–215900/– रुपये)	
5.	**क्या चयन पद है/गैर चयन पद**	:	चयन पद	
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं	
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्य**	
			योग्यताः लागू नही	**अनुभव** : लागू नही
			वांछनीय	
			योग्यताएं : लागू नही	**अनुभव** : लागू नही
			योग्यता मानक टीप	**अनुभव मानक टीप**
			लागू नहीं	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं	
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नही	
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**पद्धति**	**प्रतिशत**
			8. पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वाराः	**100**
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में 05 वर्ष की नियमित सेवा सहित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12 (78,800 – 2,09,200/– रूपये) के	

	किया जाना है		वेतनमान में संयुक्त निदेशक (योजना)। **<u>टीप</u>** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति** : केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत अधिकारी : क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12 (78,800 – 2,09,200/– रूपये) के वेतनमान में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरान्त प्रदत्त ग्रेड पांच वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष। (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11 (67,700 – 2,08,700/– रूपये) के वेतनमान में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरान्त प्रदत्त ग्रेड दस वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष। तथा निम्निलिाित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी /ऑपरेशन रिसर्च/गणित/अर्थशास्त्र/ सांख्यिकी सहित वाणिज्य में स्नातोकोत्तर उपाधि। (ii) सांख्यिकीय कार्य में पन्द्रह वर्षों का अनुभव। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।) (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।) **मानक टीप** : लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – (अध्यक्ष) 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) **विभागीय स्थायीकरण समिति** लागू नहीं
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टीप :

1. इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. वह व्यक्ति, जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
3. जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
देश बन्धु गुप्ता, निदेशक (पीईएस)

PLANNING DEPARTMENT

(Cadre Controlling Unit)

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd February, 2026

F. No. 9(45)/2022/CC/Plg/PF-1/3606.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to-

(i) make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of 'Director (Planning, Economics and Statistics)' in various offices/ departments under this Government; and

(ii) cancel the Recruitment Rules for the post of Director (Planning, Economics and Statistics) in various offices/ departments under this Government notified vide notification No. F.9(17)/2004-CC/Plg/6758 dated 12th January 2006.

ANNEXURE-I

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of DIRECTOR (PLANNING, ECONOMICS & STATISTICS), in Ministry / Department of GNCTD Planning Department

1.	Name of the Post	:	Director (Planning, Economics and Statistics)
2.	No. of posts	:	03* (2025) *subject to variation dependent on work load
3.	Classification	:	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group, A
4.	Pay Level in the Pay Matrix	:	13 Remark: (Rs.123100-215900)
5.	Whether Selection post/Non-Selection post	:	Selection Post
6.	Age Limits for Direct Recruits	:	Not Applicable

7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	:	**Essential**	
			Qualification: Not Applicable	**Experience** : Not Applicable
			Desirable	
			Qualification: Not Applicable	**Experience** : Not Applicable
			Qualification Standard Note	**Experience Standard Note**
			NA	NA
8.	Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	:	AGE : NA Edu. Qual : NA	
9.	Period of Probation, if any	:	NA	
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	:	**Method**	**Percentage**
			8. Promotion failing which Deputation	100
11.	In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	:	**Promotion:** Joint Director (Plg) in the Scale of Pay of Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) in the Pay Matrix as per 7th CPC with 05 years regular service in the grade. **Note:** While juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central/State Govt./Union Territories- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Level 12 (Rs.78,800-2,09,200) in the Pay Matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent Cadre/Department; or (iii) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the Pay Matrix as per 7th CPC or equivalent in the parent Cadre/Department; and	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Possessing the following Educational Qualifications and Experience:
(i) Masters Degree in Statistics/Operations Research/ Mathematics/Economics/Commerce with Statistics from a recognized university.
(ii) Fifteen years experience in Statistical works.
(The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.
Similarly Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).
(Period of Deputation including period of Deputation in another Ex-Cadre Post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years on the closing date of the receipt of applications).
Standard Note:
NA</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</td><td>:</td><td><u>Departmental Promotion Committee</u>
1. Chairman/Member, UPSC (Chairman)
2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi (Member)
3. Secretary concerned in the Govt. of NCT of Delhi (Member)</td><td><u>Departmental Confirmation Committee</u>
NA</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment</td><td>:</td><td colspan="2">Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</td></tr>
</table>

Notes:

1. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

2. No person, who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post: provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

3. Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

DESH BANDHU GUPTA, Director (PES)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.23 22:58:14 +05'30'